ORIGINAL RESEARCH PAPER

Social Science

केन्द्र सरकार एवं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए संचालित अनेकाअनेक कल्याणकारी योजनाओं में उदयपुर जिले की मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी आनुपातिक कम, जन–जागरुकता एवं आपसी संवाद का अभाव एक विवेचन

KEY WORDS:

डॉ शबनम बानो

Post Doctrod Fellowship Icssr New Delhi Sponsord Project Facilty Of Social Science Udaipur School Of Social Work Jrnr Vidhayapeeth (deemed To Be University) Udaipur Rajasthan

ABSTRACT

भारत में पुरातन वर्श से ही महकलाओं को लक्ष्मी देवी एवं मॉ दुर्गा के रुप में पूजा जाता रहा है किन्तु भारत की आजादी के 74 वर्शो बाद भी देश में महिलाओं की स्थिति में ज्यादा सुधार नही हुआ है। भारत की कुल जनसंख्या का 14.87 प्रतिशत ही मुस्लिम आबादी है। इस अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं सामाजीक – आार्थिक स्थिति अभी तक दयनीय है उसके मुख्य कारण समुदाय में स्त्री को समुचित सम्मान न देना, पिछडापन, अशिक्षा आदि है साथ ही इस संवर्ग की महिलाओं की विकास के विभिन्न पहलुओं में नगण्य भागीदारी भी रही है।

केन्द्र सरकार एवं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अनेकानेक शासकीय कल्याणकारी योजनाए विशेशकर वर्श 2014 के बाद संचालित की जा रही है। इनमे से कुछ उपयोगी योजनाए अल्पसंख्यक समुदाय के तीव्र सामाजिक – आार्थिक उत्थान हेतु संचालित हो रही है। लेखक ने ICSSR New delhi को एक शोध प्रस्ताव इसी संदर्भ में 2 वर्श पूर्व प्रेशित किया था तथा इन कल्याणकारी योजनाओं में उदयपुर जिले की मुस्लिम महिलाओं की भागादारी कितनी है बाबत शोध करने की महत्ता रेखांकित की थी जिसे संस्थान ने उचित समझा जिसके फलस्वरुप ही यह शोध प्रारम्भ हो पाया तथा शोध के आंशिक परिणामो का विवेचन इस शोध पत्र में समावेश करने का प्रयास किया गया है।

शोध ाोध में अब तक एकत्रित किये गये आंकडो के विषलेशण से यह स्पष्ट है कि शासन द्वारा संचालित अनेकानेक कल्याणकारी योजनाओ का समुचित लाभ उदयपुर जिले की मुस्लिम महिलाए नहीं ले पाई हैं इसका मुख्य कारण जन–जागरुकता का अभाव, आापसी संवाद में कमी तहसील स्तर पर एवं ब्लॉक स्तर पर शासकीय योजना कार्यक्रम ना होना, लगातार शासन द्वारा जागरुकता षिविर आयोजीत न करना आदि है।

प्रस्तावना :

भारत वह देश है जहाँ नारी को 'लक्ष्मी' एवं 'शक्ति स्वरूपा' मानकर पूजा जाता है। प्राचीन समय में भारतीय समाज में मातृदेवी की उपासना का प्रमाण मिलता है जो इस बात की पुष्टि करता है। भारतीय संस्कृति की अर्धनारीश्वर की धारणा भी इस बात की ओर संकेत करती है कि भारतीय समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वास्तविकता यह है कि भारतीय संस्कृति में नारी को पुरुष की अर्द्धांगिनी माना गया है अर्थात् पुरुष नारी के बिना अपूर्ण था। जहाँ पत्नी के रूप में नारी पुरुष की सहकारी है वहीं माता अर्थात् मातृत्व की उपस्थिति ने नारी को स्वयं भगवान के तुल्य पूजनीय बना दिया है।

सभी वर्गों की महिलाओं की समस्याएँ अलग–अलग हैं। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि भारतीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति शोचनीय है। इसलिए उनकी सामाजिक स्थिति भी चिंताजनक है। वह आमतौर पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। बचपन में वे माता–पिता पर आश्रित होती हैं और बड़ी होकर पति पर। वस्तुतः हमारे पुरुष वर्चस्व वाले समाज में महिलाएँ हर स्तर पर भेदभाव की शिकार हैं। इसीलिए वे वंचित व पीड़ित वर्ग में आती हैं। बचपन से ही उन्हें लड़कों की अपेक्षा कम महत्त्व दिया जाता है। उन्हें 'पराया–धन' माना जाता है। उन्हें आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। पुरुषों के समान ही स्त्रियों की शिक्षा भी आवश्यक है। किन्तु भारत ही नहीं अपितु अनेक देशों में लिंग के आधार पर असमानता पाई जाती है। आज भी बाल–विवाह, भ्रूण–हत्या देश के कई हिस्सों में व्याप्त है। लिंग समानता भारत से अभी कोसों दूर है। देश के अधिकांश भागों में समानता तो दूर की बात महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। यह भेदभाव लड़कियों के पैदा होने के समय से ही शुरू हो जाता है और उनके विधवा होने पर यह भेदभाव किस स्तर तक पहुँच जाता है, इसका वर्णन करना बहुत दर्दनीय एवं कठिन है।

भारत में मुस्लिम आबादी :

जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब मुस्लिम आबादी 3.01 करोड़ थी, लेकिन इसके बाद लगभग 51 वर्षों में यह आबादी 3.586 करोड़ पहुँच गयी है। जो समस्त भारत की जनसंख्या का 13.70 प्रतिशत थी तथा वर्तमान में 2011 तक यह प्रतिशत 14.87 तक पहुँच चुका है। **(सारणी–1)**

सारणी–1

वर्षवार भारत की मुस्लिम आबादी (करोड़ में)

क्र.सं.	गणना का वर्ष	कुल आबादी	मुस्लिम आबादी	मुस्लिम आबादी (प्रतिशत में)
1.	1951	261088090	35856047	13.70%
2.	1961	439234771	46998120	10.70%
3.	1971	548159652	61448696	11.20%
4.	1981	683329097	77557852	11.35%
5.	1991	846427039	102586957	12.12%
6.	2001	1028737436	138159437	13.43%
7.	2011	1210726932	180008000	14.87%

स्रोत – भारत की जनगणना, सन 2011।

भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु किये गये प्रयास :

भारत के परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक वर्ग से अभिप्राय उस समूह विशेष से है जो अपनी जाति, भाषा अथवा धर्म की दृष्टि से एकदम भिन्न है। अल्पसंख्यक शब्द जितना सरल प्रतीत होता है व्यवहार में उतना ही पेचीदा एवं अस्पष्ट है। 1957 ई. में जब केरल शिक्षा विधेयक के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक पर विवाद उठा था तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि ऐसा समूह जिसकी संख्या पचास प्रतिशत से कम हो अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस मूल अवधारणा को भारतीय गणतन्त्र में विधिवत संवैधानिकता प्राप्त है। मूल अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान के तीसरे भाग में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के कारण किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा और रोजगार के मामलों में सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे। यह सब अनुच्छेद 15 व 16 के अन्तर्गत रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 29 और 30 स्पष्ट रूप से भाषा, लिपि, संस्कृति और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। अतः भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यकों को न केवल मान्यता प्रदान करता है, बल्कि उनके अधिकारों को सुरक्षा भी प्रदान करता है।

भारतीय समाज के अल्पसंख्यकों को मोटे रूप में हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं– धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषायी अल्पसंख्यक। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्ग को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अधिक उपयुक्त यही है कि उन्हें पृथक् वर्ग में रखा जाए। समाज के दुर्बल एवं कमजोर वर्ग में इसकी गणना करना उचित एवं तर्कसंगत होगा।

भारतीय मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में सामान्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएँ देखी जा सकती हैं–

1. यह वृहद् समुदाय का उप–समुदाय है जिनकी संख्या अन्य लघु समुदायों की अपेक्षा सर्वाधिक है।
2. यह समुदाय परस्पर भाषा एवं संस्कृति के आधार पर एकसूत्र में बंधा है।
3. इस समुदाय के सामान्य सदस्यगण संवेदनशील ज्यादा होते है। आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में इनकी पहुँच सीमित होती है।
4. सरकार के अनेकानेक कल्याणकारी कार्यक्रमों के बाद भी मुस्लिम समुदाय में एक असुरक्षा की भावना दृष्टिगोचर होती है, जिसकी अभिव्यक्ति समय–समय पर विभिन्न रूपों में होती रही है।

भारतीय संदर्भ में मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। 200 वर्षों में अंग्रेजों के शासन के बाद जब 1947 ई. में देश परतन्त्रता की जंजीरों से विमुक्त हुआ तब एक नए राष्ट्र 'पाकिस्तान' का प्रादुर्भाव हुआ। भारत में मुस्लिम जनसंख्या पर इस विभाजन का गहन प्रभाव पड़ा और वह अल्पसंख्यक के रूप में उभरकर आए। 1950 ई. में भारतीय गणतंत्र का संविधान पारित हुआ जिसमें मुस्लिम समुदाय के हितों का पूरा ध्यान रखा गया तथा मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को संविधान में निहित किया गया। किन्तु अल्पसंख्यकों (मुस्लिम समुदाय) के रूढ़िवादी विचारकों की यह अवधारणा है कि शिक्षा व्यवस्था में बहुसंख्यकों की संस्कृति, उनकी भाषा आदि का अधिक समावेश किया जाता है। अधिकांश समूह सामाजिक आर्थिक स्तर में व शैक्षिक स्तर में अपने आप में हीन भावना से ग्रसित है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1978 ई. में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य 200 धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में दिए गए संरक्षण उपायों पर ध्यान देना तथा उनके कारगर ढंग से पालन के लिए सिफारिश करना है। 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम' 1992 (एनसीएम अधिनियम 1992) से एक सांविधिक निकाय बन गया तथा 1993 ई. में 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' की स्थापना एक स्थायी इकाई के रूप में की गयी। वर्तमान में यह आयोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों व उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने व उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करने के संबंध में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य निम्न प्रकार हैं –

1. केन्द्र और राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति की समीक्षा करना।
2. अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सिफारिश करना।
3. अल्पसंख्यकों की समस्याओं के निवारण के लिए उपयोगी मंच उपलब्ध कराना।
4. अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक उन्नति पर तीखी नज़र रखना तथा तीनों क्षेत्रों में समन्वय रखने का प्रयास करना।

संचालित शासकीय कल्याणकारी योजनाएँ :

वर्श 2014 के बाद, शायन द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाए देशवासियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान हेतु प्रारम्भ की गई है। केन्द्र सरकार की तरह विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी केन्द्र सरकार की शासकीय योजनाओं का राज्यों में लागू किया है साथ ही राज्यों ने अपने स्तर पर भी बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं सम्बन्धित प्रदेशों के उत्थान हेतु लागु की है। इस अनुसंधान का ताल्लुक, राजस्थान राज्य तक सीमित होने से, राजस्थान राज्य में राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं (केन्द्र एवं राज्य) की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है।

मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं:

1) ''नई रोशनी'' (अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व – क्षमता विकास की योजना 2017), दिनांक 23.9.2017 से संशोधित कर लागू

नई रोशनी केन्द्र प्रदत्त योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को परस्पर सशक्त बनाना है। यह योजना 2011–12 में शूरू हुई थी। जिसे संशोधित कर 2017 में लागू की गई है। नई रोशनी योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्म विश्वास जगाना है। नई रोशनी योजना के तहत समाज के वंचित समूह की महिलाओं को सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ काम करने की जानकारी, साधन एवं तकनीक मुहैया कराना है। नई रोशनी योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को महिलाओं को अपने

घरों तथा समुदाय की सीमा से बाहर निकालना भी है। इससे महिलाएं अपने जीवन रहन–सहन की दशा में सुधार लाने के लिए सरकार के विकास कार्यक्रम में शामिल हो सकती है। इस योजना की पात्र महिला की वार्शिक आय की कोई सीमा तय नहीं रखी गई है। आयु 18 से 65 वर्श के बीच होना जरूरी है। इस योजना हेतु पात्र महिला का आधार कार्ड एवं बैंक खाता होना चाहिये। इस योजना में 50,000 महिलाओं को प्रतिवर्श प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है।

बहुत सी महिलाएं पढी–लिखी होने के बाद भी बैंक बिजली–पानी के दफ्तर में जरूरी कागजी कार्यवाही नहीं कर पाती इसकी वजह उनमें जानकारी का अभाव है। नई रोशनी के माध्यम से सरकार इन महिलाओं में आत्मविश्वास बनना चाहती है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा शुरू की नई रोशनी योजना से पिछले वित्त वर्श 31 जनवरी 2020 तक 69,150 महिलाओं को लाभ मिला था। नई रोशनी योजना के तहत 3 विशेश योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें महिलाओं को जानकारी देने, बचाव के उपाय करने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर सरकार का मुख्य फोकस है।

साल 2014–15 में नई रोशनी योजना के लिए 13.78 करोड़ रूपये जारी किए गए और 71,075 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। साल 2015–16 में नई रो"नी योजना के लिए 14.81 करोड़ रूपये जारी किए गए थे। इस साल योजना में 58,725 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया था। रुपये 66.00 करोड़ का राश्ट्रीय प्रावधान वर्श 2017–18 से 2019–20 तक रखा गया।

इस योजना के अन्तर्गत अभी तक उदयपुर जिले की कितनी मुस्लिम महिलाएं प्रशिक्षित हुई है एवं प्रशिक्षण उपरान्त उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस महत्वपूर्ण योजना में मुस्लिम महिलाएँ बढ़–चढ़ कर क्यों नहीं हिस्सा ले रही हैं, इसके कारणों का पता लगाना, इस शोध का उद्देश्य है।

शोध में जुटाये गये प्रस्तावित आंकडो का विश्लेषण :

चूकिः उपरोक्त नई रोशनी एक कल्याणकारी केन्द्र सरकार की योजना अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास हेतु बनाई जाकर संचालित की जा रही हैं। अतः इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना एवं कुछ अन्य केन्द्र सरकार एवं राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय (विशेशकर मुस्लिम महिलाओ के संदर्भ में संचालित) हेतु संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं से उदयपुर जिले की मुस्लिम महिलाओं ने क्या–क्या लाभ प्राप्त किये इसकी जानकारी जुटाने हेतु लेखक ने एक विशेश प्रकार की "अनुसूची" बनाई और उदयपुर जिले की लगभग 500 महिलाओं से साक्षात्कार के दोरान अनुसूची भरवाई गई।

अनुसूची के अन्तर्गत नई रोशनी योजना के बारे में साक्षात्कार लिया गया एवं अनुसूचियॉ भरवाई गई जिसका संक्षिप्त **विश्लेशण** निम्न प्रकार रहा –

सारणी संख्या – 2
उदयपुर जिले में मुस्लिम महिलाओं में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित नई रोशनी महत्वपूर्ण योजना में शहरी एवं ग्रमीण क्षेत्र की महिलाओं की भागीदारी की समीक्षा :

कुल अनुसूची भरवाई गई	नई रोशनी योजना की जानकारी		रोशनी योजना की लाभ	
	हॉ	नहीं	हॉ	नहीं
500	**30**	**470**	**20**	**480**

उपरोक्त सारणी से स्पश्ट होता है कि ''नई रोशनी'' योजना जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाई गई हैं उसमें भी स्पश्ट रुप से जन जागरुकता का अभाव हैं।

नई रोशनी कल्याणकारी योजना का लाभ योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण एवं उसकी उपयोगीता के बारे में अनुसूची पूछे गये प्रशनो का विश्लेशण :

वेसे तो सारणी संख्या 2 से स्पश्ट है कि मात्र 6 प्रतिश्त मुस्लिम महिलाओं को ही नई रोशनी कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी हैं अतः इस योजना की समीक्षा के अर्न्तगत पुछे गए उपरोक्त संदर्भित प्रश्नो का प्रतिउत्तर लगभग नगण्य ही प्राप्त हुआ किन्तु 500 भरवाई गई अनुसूची में से 20 अनुसूचीयों में महिलाओं ने यह बताया है कि उन्हेने नई रोशनी योजना के अर्न्तगत **क्षमता विकास** हेतु लघु अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जैसे किसी कार्यालय में किस प्रकार काम किया जाता है, बैंक में किस प्रकार काम किया जाता हैं आदि किन्तु प्रशिक्षण उपरान्त उपरोक्त महिलाओं को कोई सक्षम रोजगार प्राप्त नहीं हुआ और ना ही उनकी सामाजिक– आर्थिक स्थिति में बढोतरी हो पाई।

ऐसा प्रतित होता है कि जन जागरुकता का अभाव होने से यह केन्द्र सरकार की महत्वपुर्ण कल्याणकारी योजना उदयपुर जिले की मुस्लिम महिलाओं के उत्थान हेतु मूल "मील का पत्थर" साबीत नहीं हो पाई है।

मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उत्थान हेतु संचालित की जा रही कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर तथ्यात्मक विवरण :

अनुसूची भरवाने के दौरान यह पाया गया की महिलाओं को बहुत कम योजनाओं के बारे में जानकारी तथा इनकी हिस्सेदारी आनुपातीक रुप से कम हैं। और महिलाए लगभग नगण्य रुप में योजनाओं का लाभ ले रही है। इसका मुख्य कारण उसने जन जागरुकता की कमी साथ ही आपसी संवाद की भी कमी रही।

निषकर्षः

उपरोक्त शोध पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि –

1. उदयपुर जिले की मुस्लिम महिलाओं ने शासन (केन्द्र सरकार एवं राजस्थान राज्य सरकार) द्वारा संचालित की जा रही अनेकाअनेक कल्याणकारी योजनाओं का अनुपातिक लाभ नही लिया है।
2. नई रोशनी योजना जो कि मूल रुप से मुस्लिम महिलाओं हेतु ही है। इस योजना में क्षमता विकास हासिल कर जिले की मुस्लिम महिलाओं के विकास एवं आमदनी के विभिन्न स्त्रोतो में रोजगार प्राप्त करना तथा अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारनी थी वह भी लक्ष्य जिले कि एक भी मुस्लिम महिला हासिल कर नहीं पाई। हॉ, यह जरुर है कि उदयपुर जिले की 20 महिलाओं ने नई रोशनी महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत क्षमता विकास हेतु लघु अवधि का प्रशिक्षण जरुर प्राप्त किया है किन्तु रोजगार प्राप्त न होने से उनकी सामाजिक – आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आ पाया।
3. अनुसूची में नई रोशनी योजना के अलावा 16 अतिरिक्त महत्वपूर्ण कल्याणकारी शासकीय योजना के बारे में उदयपुर जिले मुस्लिम महिलाओं से जानकारी प्राप्त कि गई उन प्रश्नो का विश्लेशण करने से भी यह स्पश्ट हुआ कि अधिकतर योजनाओं के बारे में इन महिलाओं को जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में महिलाए इन महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाई हैं। किन्तु कुछ कल्याणकारी योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेन्शन योजना छात्राओं के शिक्षण हेतु छात्रवृति योजना में कुछ मुस्लिम छात्राओं एवं महिलाओं ने लाभ लिया लिया हैं।किन्तु यहॉ यह रेखांकेत करना जरुरी है कि अल्पसंख्यक समुदाय हेतु विशेश रुप से ंचालित कल्याणकारी योजनाए जैसे– नई उडान योजना, सीखो और कमाओ योजना, अनुप्रति योजना आदि में भी अदयपुर जिले मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी नगण्य है जो कि विवेचन योग्य है।
4. उदयपुर जिले में लेखक ने विभिन्न तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर जाकर मुस्लिम महिलाओं से साक्षात्कार लेकर 500 अनुसूचियॉ भरवाई है। ग्रमीण क्षैत्र की महिलाओं ने यह बताया की जानकारी देने संबधी अल्पसंख्यक सरकारी कार्यालय नही है इस कारण योजनाओं की जानकारी नहीं है एवं वह योजनाओ का लाभ नही ले पाती हैं।

सुझाव एवं अभिशंसा

1. मुस्लिम समाज की महिलाओं तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जीनकारी के लिए जागरूकता शिविरो, नुक्कड़ नाटको, कठपुतली शॉ के माध्यम से पहुॅचाए जाय तब ही उनमें सरकारी योजनाओ के बारे में जागरुकता आएगी।
2. राजस्थान सरकार का अल्पसंख्यक मामलात विभाग, अल्पसंख्यक युवाओं हेतु निशुल्क रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहता हैं, इनके बारे में उदयपुर शहर की मुस्लिम महिलाओं को जानकारी नही के बराबर हैं, अतः राज्य सरकार, विभिन्न मौहल्लों में बार–बार एक दिवसीय शिविर लगाकर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों कि जानकारी देकर मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस तरह के प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित करना चाहिये जिससे महिलाएँ स्वयं के पैरों पर खड़ी होकर स्वतन्त्र रूप से कमाई कर अपना समाज में समुचित स्थान बना सकें।
3. शासन के तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम बुथ खोलकर इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते रहना चाहीए।

उपरोक्त विवेचन एवं सुझावों से कि उदयपुर शहर कि मुस्लिम महिलाओं कि स्थिति अभी भी दयनीय हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति भी कमजोर है अतः उन्हें अगर राश्ट्र निमार्ण कि मुख्य धारा में लाना हैं तो उन्हें जागरूक करना जरूरी होगा उन्हें सरकार कि जन कल्याण योजनाओं में शामिल करना होगा, उन्हें स्वालम्बी बनाना होगा, क्योंकि स्त्री ही जीवन का आधार हैं वहीं जीवन जननी हैं वह ही पुरूश कि पोशक हैं अतः पुरूशों के बराबर के अवसर जब मुस्लिम महिलाओं को मिलेगें तब हि उनका एकीकृत उत्थान हो पावेगा, उनके परिवारों का भी उत्थान हो पावेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 शबनम बानो (2017) : अप्रकाशित शोध प्रबन्ध (उदयपुर शहर की मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक एंव शैक्षणिक स्थिति का विश्लेशणात्मक अध्ययन) जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय उदयपुर पृश्ठ , 230
2 Census of india (2011) : https://en.wikipedia.org/wiki/2011_census_of_india
3 Kerla Education Act (1957)
4 Constitution of india (1950) : Alia Law Agency 1, Mahatma Gandhi Marg (Opp. High court) Allahbad – 211001, P. No. – 12,13.
5 Constitution of india (1950) : Alia Law Agency 1, Mahatma Gandhi Marg (Opp. High court) Allahbad – 211001, P. No. – 30.
6 अल्पसंख्यक आयोग (1978) : नई दिल्ली
7 National commission for minorities (1992)
8 Nairoshni yojna Nai Roshni-Guidelines_2.pdf